

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF REVENUE**

**LOK SABHA  
UNSTARRED QUESTION No. 1143  
TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 4<sup>TH</sup> DECEMBER, 2015  
13, AGRAHAYANA, 1937 (SAKA)**

**TAX RELIEF EXPENDITURE ON SERIOUS DISEASES**

**1143. SHRIMATI RANJANBEN BHATT:**

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether the Government propose to provide tax relief for the expenditure incurred on serious diseases; and
- (b) if so, the details thereof and the steps taken by the Government in this regard?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE  
(SHRI JAYANT SINHA)**

(a) to (b) A deduction upto Rs. 40,000/- on account of expenditure on medical treatment of specified diseases is allowed from the total income of the assessee under the provisions of section 80DDB of the Income-tax Act, 1961. The limit is increased to Rs. 60,000/- and 80000/- if the amount is paid on the treatment of a senior citizen (an individual of the age of 60 years and above) and very senior citizen (an individual of the age of 80 years and above) respectively. The diseases are specified in the Rule 11DD of the Income-tax Rules, 1962 which inter-alia, include cancer, AIDS, hemophilia etc. In addition to the above, a deduction upto 25,000(30,000 in case of a senior citizen) is allowed under section 80D Income Tax Act, 1961 on account of health insurance premium. In case of a very senior citizen, the deduction of 30,000 on account of medical expenditure is allowed under said section 80D if he does not have a health insurance policy.

-----

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1143

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2015 / 13 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

गंभीर रोगों पर व्यय में कर छूट

1143. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का गंभीर रोगों पर हुए व्यय पर कर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) तथा (ख): आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80घघख के अंतर्गत विशेष प्रकार के रोगों के उपचार पर किये गये चिकित्सा खर्च के कारण निर्धारिती की कुल आय में से 40,000/-रुपये तक की राशि की कटौती करने की अनुमति दी गई है। यदि ऐसी राशि का भुगतान वरिष्ठ नागरिक (ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से या उससे अधिक हो) और अति वरिष्ठ व्यक्ति (ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक हो) के इलाज पर खर्च किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कटौती की इस राशि को बढ़ाकर क्रमशः 60,000/- रुपये और 80,000/- रुपये कर दिया गया है। आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11घघ में विनिर्दिष्ट रोगों में अन्य बातों के अलावा कैंसर, एड्स, हिमोफिलिया आदि रोग आते हैं। उपर्युक्त के अलावा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80घ के अंतर्गत 25,000/- रुपये (वरिष्ठ नागरिक के रूप में 30,000/- रुपये) की भी कटौती किये जाने की अनुमति है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, यदि उसकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नहीं है तो उक्त धारा 80ग के अंतर्गत चिकित्सा व्यय के कारण 30,000/- रुपये की कटौती की जा सकती है।

-----